राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–विज्ञप्ति दिनांकः–01.01. 2016

अध्यापक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक प्रतियोगी परीक्षा, 2006 के पदों हेतु एस.बी.सि.रिट पीटिशन संख्या 3414/2009 नरेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 20.09.2011 एवं अवमानना वाद संख्या 611/2013 गोवर्धन कुमार व्यास व अन्य बनाम श्रीमती वीनू गुप्ता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 की पालना में संशोधित परिणाम दिनांक 30.09.2014 व 24.11.2014 के अन्तर्गत कमशः 661 व 722 अभ्यर्थी अस्थाई रूप से चयनित किये गये। आवेदन पत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि 16.10.2014 एवं 07.12.2014 तक प्राप्त आवेदन–पत्रों को आयोग द्वारा अभिस्तावित किया जा चुका है व शेष का चयन तत्समय निरस्त कर सूचित किया गया।

एस.बी.सि.रि.पी.नं. 2638/2015 बजरंग लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा अन्य 14 याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 08.09.2015 (जोधपुर कोर्ट) तथा एस.बी.सि.रि.पी.नं. 4757/2015 ओमवीर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एवं 50 अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 तथा अन्य और याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में, संशोधित रिशफल परिणाम दिनांक 30.09.2014 व 24.11.2014 के अन्तर्गत निर्धारित अन्तिम दिनांक 16.10.2014 व 07.12.2014 तक आवेदन–पत्र जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थी, जिनका चयन निरस्त कर दिया गया था, को सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in से विस्तृत आवेदन–पत्र डाउनलोड कर आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय प्रमाण–पत्रों के आयोग कार्यालय में दिनांक 01.02..2016 तक आवश्यक रूप से भेज देवें। उक्त दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उनका चयन निरस्त ही समझा जावेगा। विस्तृत आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् इनकी पात्रता की जांच की जायेगी। तदुपरान्त स्पष्ट पाए गए पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किएं जायेंगे। उक्त संदर्भित परीक्षा परिणाम का विवरण आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

-sd-

सचिव